दूरभाष -0522 -2780911, 2780411
ई0मेल-commissioner1998@rediffmail.com

न्यायालय, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0

(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अधीन)

निकट जे0बी0टी0सी0 कम्पाउण्ड, विद्या भवन कैम्पस, निशातगंज, लखनऊ-226007

पत्रांक 16-19 / रा0आ0दि0ज0 / परिवाद संख्या-191 / 2022 / 2025-26 / लखनऊ दिनांक ~~अप्रैल~~, 2025

27/05/25

उपस्थिति हेतु नोटिस

परिवाद संख्या-191 / 2022

प्रकरण में,

श्री मनीष श्रीवास्तव,
निवासी द्वारा ए0के0 टण्डन, मकान संख्या-17,
अमीर नगर, लखनऊ-226001

............परिवादी

बनाम्

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।

........प्रतिवादीगण

विषयः- परिवाद संख्या-191/2022 श्री मनीष श्रीवास्तव बनाम् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिवाद में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के समक्ष हुई सुनवाई दिनांक 19-11-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

परिवादी पक्ष की ओर से श्रीमती अन्जू श्रीवास्तव पत्नी श्री मनीष श्रीवास्तव उपस्थित हुईं तथा प्रतिवादी संख्या-02 की ओर से श्री रावेन्द्र सिंह बघेल, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय, लखनऊ तथा प्रतिवादी संख्या-03 की ओर श्री विजय दयाल, प्रबंधक एवं डॉ0 सीमा सिंह, प्रधानाचार्या, नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, लखनऊ उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या-01 की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा मा0 न्यायालय में बयान किया गया कि- *प्रश्नगत परिवाद मा0 न्यायालय में वर्ष 2022 से विचाराधीन है तथा परिवाद प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 06-12-2023 को आदेश/अनुशंसा पारित की गई थी, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-20(4) का अनुपालन किए जाने व परिवादी को सेवा से विलग न करते हुए उनके नियमित वेतन व लम्बित देयकों आदि का भुगतान किए जाने हेतु प्रतिवादीगण को निर्देशित किया गया था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-12-2023 का अद्यतन अनुपालन नहीं किया गया है व परिवादी को उनके नियमित वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है जिससे परिवादी को उनके चिकित्सीय उपचार व पारिवारिक भरण-पोषण में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।*

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-02 जिला विद्यालय निरीक्षक-द्वितीय, लखनऊ की ओर से मा0 न्यायालय में दाखिल उनके लिखित अभिकथन/आख्या संख्या-मा0/2391-94/2024-25 दिनांक 18-11-2024 में उल्लिखित किया गया कि – *शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० शिक्षा सामान्य (1) द्वितीय अनुभाग प्रयागराज पत्रांक-सामान्य (1) द्वितीय/5954-57/2024-25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा शासन को आख्या उपलब्ध कराई गई है जो निम्नवत् है:-*

शासन के पत्र दिनांक 09.10.2024 के निर्देशानुपालन में निदेशालय के पत्रांक-सामान्य (1) द्वितीय /5758/2024-25 दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, द्वितीय, लखनऊ को प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार स्पष्ट संस्तुति / मंतव्य सहित सुसंगत अभिलेखीय आख्या / प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित

किया गया। तत्क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक, द्वितीय, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक /मा०/2149-51/2024-25 दिनांक 25.10.2024 द्वारा प्रकरण में निम्नवत् आख्या उपलब्ध करायी गयी है-

"मा० न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ के समक्ष योजित परिवाद संख्या-191/2022 मनीष श्रीवास्तव बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"सम्यक विचारोपरान्त प्रतिवादी पक्ष से अनुशंसा की जाती है कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा-20 (4) के अनुपालन में दिव्यांगजन सेवा से विलग न करते हुए उनके नियमित वेतन व लम्बित देयकों आदि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।"

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-20 (4) में प्राविधानित है कि:-

"20 (4) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा:

परंतु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे यह पारित करता है तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जायेगा:

परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो यह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्वक्ती हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा।"

उपरोक्त तथ्यों एवं नियमों के आलोक में तथा श्री मनीष श्रीवास्तव के 100 प्रतिशत विकलांगता का विशेष प्रकरण होने के दृष्टिगत मा० न्यायालय, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश निशातगंज, लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी अनुशंसा के अनुपालन में मानवीय आधार पर विचार करने हेतु आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।"

प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन के निर्देशों एवं मान० न्यायालय, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश निशातगंज, लखनऊ के समक्ष योजित परिवाद संख्या-191/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, द्वितीय लखनऊ कार्यालय के पत्रांक-मा०/629/2024-25 दिनांक 19.09 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, शासन को निदेशालय के पत्रांक-सामान्य (1) द्वितीय/5518/2024-25 दिनाक 20 सितम्बर, 2024 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।

उक्त प्रेषित आख्या पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु दिनांक 08.10.2024 को न्याय विभाग के समक्ष बैठक आहूत की गयी, जिसमें प्रकरण पर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः प्रकरण में जिला विद्यालय निरीक्षक, द्वितीय लखनऊ कार्यालय के पत्र दिनांक 25.10.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के क्रम में श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लिपिक नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, राजेन्द्रनगर लखनऊ के 100 प्रतिशत विकलांगता का विशेष प्रकरण होने के दृष्टिगत एवं मा० न्यायालय, राज्य आयुक्त दिव्यागजन, उत्तर प्रदेश निशातगंज, लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी अनुशंसा के अनुपालन में प्रकरण में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-20 (4) के अधीन श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लिपिक, नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, राजेन्द्रनगर, लखनऊ को उनके नियमित वेतन व लम्बित देयकों आदि के भुगतान पर विचार किया जा सकता है।"

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण शासन में निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें निर्णय आना अभी शेष है कृपया प्रकरण के निस्तारण हेतु एक माह का समय प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे आपके आदेश दिनांक-06.12.2023 की अनुशंसा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकें।

प्रतिवादी संख्या-03 प्रधानाचार्या, नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, लखनऊ की ओर से उपस्थित प्रधानाचार्या एवं प्रबन्धक द्वारा मा0 न्यायालय में दाखिल उनके संयुक्त हस्ताक्षरित लिखित अभिकथन/आख्या पत्रांक 215-18/न0क0वि0/2024-25 दिनांक 16-11-2024 में उल्लिखित किया गया कि - प्रतिवादीगण को प्रश्नगत परिवाद में अंतिम रूप से 03 सप्ताह का समय प्रदान कर दिव्यागंजन की शारीरिक, मानसिक व पारिवारिक स्थिति के दृष्टिगत परिवाद में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये प्रत्येक दशा में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 20 (4) का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये दिव्यांगजन को सेवा से विलग न करते हुये उनके नियमित वेतन व लम्बित देयकों आदि का भुगतान किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है जिसके कम में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय लखनऊ को विद्यालय के पत्र पत्रांक 210-13/न०क० वि०/2024-25 दिनांक 11.11.2024 के द्वारा आपके आदेश संख्या दिनांक 06.12.2023 के अनुपालन हेतु सक्षम स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश देने/दिलाने का अनुरोध किया गया था परन्तु

अद्यतन उक्त के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः आपको पुनः सूचित करना है कि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अर्जित अवकाश एवं चिकित्सीय अवकाश का भुगतान रू0-329598/- किया जा चुका है। अन्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्देश प्राप्त होते ही माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्णतयाः अनुपालन कर दिया जायेगा।

प्रश्नगत परिवाद में उभयपक्षीय सुनवाई / अभिलेखीय परीक्षण के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या-03 से पृच्छा की गई कि – ***परिवादी को वर्ष 2017 से बिना कार्य के वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या इस सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई मार्गदर्शन प्राप्त किया गया ? क्या बोर्ड ऑफ मैनेजमेण्ट की बैठक में वेतन रोकने की कार्यवाही हेतु कोई मार्गदर्शन प्राप्त किया गया अथवा परिवादी के प्रकरण पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 06-12-2023 के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ मैनेजमेण्ट की बैठक के कार्यवृत्त में कोई प्रस्ताव लाया गया ?*** इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या-03 द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अत्यन्त अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कि धारा 20(4) में स्पष्ट प्रावधानित है किः-

20(4) कोई सरकारी स्थापना, किसी ऐसे कर्मचारी को जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कभी नहीं करेंगा।

परन्तु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा।

तदोपरान्त भी विद्यालय प्रबन्धन द्वारा परिवादी को बिना कार्य किए नियमित वेतन भुगतान का कोई प्रावधान न होने की व्याख्या करना, जबकि परिवादी 100 प्रतिशत दिव्यांग व बेड्रिडन(शय्याग्रस्त) अवस्था में है, स्पष्टतया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 एवं मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश/अनुशंसा की अवमानना है।

इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या-03 द्वारा मा0 न्यायालय को प्रेषित उनके कार्यालय पत्र संख्या-238/न0क0वि0/2024-25 दिनांक 11-12-2024 में उल्लिखित किया गया कि-*दिनांक 06-12-2024 को दूरभाष सं0-0522-2780411 द्वारा माननीय दिव्यांगजन आयोग की बैठक में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के वेतन भुगतान के प्रकरण में विद्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में वांछना की गई थी, के सम्बन्ध में सूचित कराना है कि नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज प्रबन्ध समिति का निर्वाचन दिनांक 30-11-2024 को पूर्ण हो गया है और निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों की सूची आवश्यक संलग्नकों सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, लखनऊ को दिनांक 11-12-2024 को प्राप्त कराया जा चुका है।*

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ से नवीन प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त होने के पश्चात प्राथमिकता पर श्री मनीष श्रीवास्तव सहायक लिपिक के वेतन प्रकरण पर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत कर विचार किया जाएगा। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय को प्रेषित कर दिया जाएगा जिसकी प्रति आपको भी सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परिवाद प्रकरण में पूर्व निर्धारित सुनवाई तिथि दिनांक 19-11-2024 के उपरान्त लगभग 05 माह का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु अद्यनत सम्बन्धित प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा प्रश्नगत परिवाद प्रकरण पर कोई निस्तारण आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत परिवाद में अग्रिम तिथि निर्धारित करते हुए प्रश्नगत परिवाद को पुनः **दिनांक 04/06/2025 को समय 3:30 PM बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह पर स्थान-न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ0प्र0, जे0बी0टी0सी0 कम्पाउण्ड, विद्या भवन के अंदर, निशातगंज, लखनऊ में** सूचीबद्ध किया जाता है तथा प्रतिवादी पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि, समय एवं स्थान पर प्रश्नगत परिवाद का उत्तर देने हेतु / सुनवायी हेतु समस्त वांछित अभिलेखों / साक्ष्यों सहित **व्यक्तिगत रूप से उपस्थित** होना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार सोनकर)
उपायुक्त
कृते राज्य आयुक्त

SCAN AnyScanner